IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

अनु० 3

## SCHEDULE

Permission has been granted to sri ---- रवि रश्मि लकड़ा ----

S/O, W/O D/O पिता- स्व० जोहन लकड़ा Village जोतरा क्लब टोली

P.S ---- सिमडेगा ---- District Simdega to transfer the following land to

Sri ---- श्रीमति बिरसमुनी उराँव ---- S/O, W/O D/O पति- श्री महेन्द्र उराँव

Village ---- जोतरा डिप्टी टोली ---- P.S ---- सिमडेगा ----

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 15/9/18

in Rev, C.N.T.case No ---- 142 ---- of 2018-19

U/S 46 C.N.T. Act,

| Village | Thana No. | Khata No. | plot No | Area(in acres) | Value for Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| जोतरा | सिमडेगा 80 | 86 | 5223 | 3.51 एकड़ में से 0.08½ एकड़ | मो० 398097=00 (तीन लाख अन्ठानबे हजार सन्तानबे रुपये) मात्र। |

चौहद्दी:-

उ० - दीन जोहन उराँव.

द० - रॉड मनोरंजन लकड़ा,

पू० - इसी प्लॉट में दोराजामा 15 फीट का कच्चा रास्ता,

प० - धेरा बारी सौरभ मिंज

Sd. ह०/-

L.R.D.C.Simdega

Memo No. 976(11) /Rev. Dated (Simdega the 15/9/18 20

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri ---- रवि रश्मि लकड़ा ---- पिता- स्व० जोहन लकड़ा

Village जोतरा कलब टोली P.S ---- सिमडेगा ---- District Simdega

For information and needful

उपसमाहर्ता
L.R.D.C Simdega
भूमि सुधार सिमडेगा

## कार्यालय, अंचल अधिकारी ....सिमडेगा....

पत्रांक ....98....
दिनांक ....4.8.18....

सेवा में,
अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सिमडेगा ।

**विषय :- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन ।**

प्रसंग : अनुमति वाद संख्या ....12 सन् 18-19....

एक रुपया ONE RUPEE

1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

1) क- आवेदक (हस्तान्तरणकर्त्ता) का नाम : श्री रवि रश्मि लकड़ा पिता स्व० जोहन लकड़ा
पिता का नाम/पूरा पता : सालेरा कुम्बा टोली थाना सह जिला सिमडेगा
ख- जाति : उरांव

2) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : डोम्बा उरांव वो सोमा उरांव वो सुन्दु उरांव चारो उरांव कौम उरांव साकीन सिमडेगा

3) जमींदारी विलियन के पश्चात् उक्त जमीन की जमाबंदी संख्या तथा जमाबंदी दार का नाम : खाता नं० 86 रकबा 10.45½ ए० पौलुस उरांव वल्द डोम्बा उरांव वो रवि र... मनोज लकड़ा वो मनोरंजन लकड़ा

4) वर्तमान जमाबन्दी संख्या/ जमाबन्दी दार का नाम : तदैव

5) वर्तमान जमाबन्दी को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : उत्तराधिकारी से

6) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : आवेदक एवं अन्य हिस्सेदार

7) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : स्वयं

वंशावली: डोम्बा उरांव — पौलुस उरांव — जोहन ...

8) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार हैं तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा : गोल खाता 86 रकबा 10.45½ ए० " " 75 रकबा 18.21½ ए० — 28.67 ए०

9) क्या आवेदक बड़े भू-धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज है, जिनके विरूद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है : x

10) क - क्या उक्त जमीन भूदान की है : x
ख- लैंण्ड सिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित है : x

11) जमीन बेचने की आवश्यकता एवं औचित्य : मकान निर्माण हेतु

12) जमीन का किस्म एवं ब्यौरा

| ग्राम/थाना सं० | खाता सं० | प्लाट सं० | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| सालेरा 80 | 86 | 5223 | 3.51 ए० | |
| | | | 0.08½ ए० | |

13) जमीन का मूल्य जो अंगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो : 46835.00/- प्रति डि०

14) जमीन का वर्तमान मूल्य : 398097.50/-

15) बिक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि : 4.78 ए०

16) बिक्री के बाद शेष भूमि : 4.69½ ए०

रवि रश्मि लकड़ा
2/10/18

अंचल अधिकारी

**2. क्रेता के सम्बन्ध में**

| | | |
|---|---|---|
| 1) क- | क्रेता का नाम/पिता का नाम घर का पूरा पता | : श्रीमति बिरसमुनी उराँव पति श्री महेन्द्र उराँव ग्राम गोमरा डिप्टी टोली थाना सह जिला - सिमडेगा |
| ख- | जाति | : उराँव |
| 2) | क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी है ? | : विक्रेता एवं क्रेतिका दोनों एक थाना के निवासी |
| 3) | जमीन खरीदने का कारण/आवश्यकता | : गृह निर्माण हेतु। |
| 4) | क्या उसके पिता, या, दादों के नाम से लेण्ड सिलिंग का वाद चला है | |
| 5) | उसके पास तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास कुल जमीन कितनी है | |
| 6) | यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है तो उसका ब्यौरा | : x |
| 7) | उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था को अतिरिक्त जमीन क्रय करने की आवश्यकता/उद्देश्य औचित्य | : x |
| 8) | उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल धारित जमीन की रकबा ब्यौरा | : x |
| 9) | जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा की शैक्षणिक संस्था के पास कुल कितनी जमीन है और अतिरिक्त कितनी जमीन उद्देश्य हेतु आवश्यकता है | : x |

ONE RUPEE INDIA

Co. Sim

हल्का कर्म० के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर CNT Act के Sec 46 अन्तर्गत विधिमान्य होने से अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
सिमडेगा

10) अभ्युक्ति

महोदय,
विक्रेता एवं क्रेतिका दोनों अ०ज०जा० की श्रेणी में आते हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता अपने हिस्से की भूमि को बिक्री हेतु दखल कब्जा कर रहा है। बिक्री के पश्चात् आवेदक ... अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ अग्रसारित। प्रतिवेदन श्रीमान ...

H.N. IV

L.R.D.C.
Simdega

14.9.18

15/9/18

अनुमति वाद सं0 142/18–19

श्री रवि रश्मि लकड़ा ............आवेदक

बनाम

झारखण्ड सरकार......................विपक्षी

## आदेश

आवेदक श्री रवि रश्मि लकड़ा पिता स्व0 जोहन लकड़ा, ग्राम– गोतरा क्लबटोली थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरणः–

| मौजा | थाना | थाना न0 | खाता न0 | प्लॉट न0 | रकबा |
|---|---|---|---|---|---|
| गोतरा | सिमडेगा | 80 | 86 | 5223 | 3.51 ए0 में से 0.08 1/2 ए0 |

कुल रकबा (शब्दों में) साढे आठ डिसमील मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को मकान निर्माण हेतु प्रस्तावित केता– श्रीमति बिरसमुनी उराँव पति श्री महेन्द्र उराँव, ग्राम गोतरा डिप्टी टोली, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा (जाति उराँव) को बिक्री कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 98 दिनांक 04.08.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत डोम्बा उराँव वो सोमा उराँव वो लुन्धु उराँव पे0 चारो उराँव के नाम दर्ज हैं। वर्तमान जमाबंदीदार खाता संख्या 86 पौलुस उराँव वल्द डोम्बा उराँव वो रवि उराँव वो मनोज लकड़ा वो मनोरंजन लकड़ा पे0 जोहन लकड़ा वगै0 हैं। मालगुजारी आवेदक एवं अन्य हिस्सेदार द्वारा दिया जाता है। आवेदक को उत्तराधिकारी द्वारा भूमि प्राप्त है। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति उराँव जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि की बिक्री के पश्चात आवेदक के पास 4.69 1/2 एकड़ अवशेष है

भूमि स्वामित्त्व से संबंधित कागजात में खतियान एवं लगान रसीद आधार संख्या 806677411521 की छाया प्रति प्रस्तुत है, जो अभिलेख में संलग्न है। क्रेता की ओर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 जे0एच0आर0सी0/2018/704092 दिनांक 24.05.2018 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा–गोतरा थाना न0–80, थाना–सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं0–86, प्लॉट संख्या 5223 रकबा 3.51 एकड़ में से 0.08 1/2 ए0 जमीन को मकान निर्माण के लिये केता श्रीमति बिरसमुनी उराँव पति श्री महेन्द्र उराँव, ग्राम गोतरा डिप्टी टोली, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा को मो0 3,98097.00 रू0 (शब्दों में) तीन लाख अन्ठानब्बे हजार सन्तानब्बे रूपये मात्र में अपने राजी –खुशी से बिकी कर रहा हूँ। यह मेरी खतियानी भूमि है। उक्त जमीन बिकी करने के बाद मेरे 4.69 1/2 अवशेष बचती है। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति उराँव जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

सिमडेगा

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा– गोतरा थाना न0–80, थाना– सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं0–86, प्लॉट संख्या 5223 रकबा 3.51 एकड़ में से 0.08 1/2 एकड़ जमीन आवेदक श्री रवि रश्मि लकड़ा पिता स्व0 जोहन लकड़ा, ग्राम– गोतरा क्लबटोली थाना–सिमडेगा जिला–सिमडेगा द्वारा श्रीमति बिरसमुनी उराँव पति श्री महेन्द्र उराँव, ग्राम गोतरा डिप्टी टोली, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत भूमि बिक्री करने की ........................................दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

पुनश्चः तालिका तीन प्रतियों में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी सिमडेगा को भेजें।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

24/9/18
प्रधान लिपिक